

FORM No. III


फर्द अहकाम



(नियम 26)

मालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

दीपसिंह बनाम मोलाराम वर्मा

क्रमांक 30-10-18-18 पत्र नं. 21 सन् 2016

क्रमांक	हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए
9-8-18	<div data-bbox="494 672 917 952" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>इस कार्य तारीख पेसी से से या उपस्थित/प्रीति, अधिकारी दारे/अन्य कार्य में व्यस्त/मौजिम में है। परावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 2-11-18 को भिज हो।</p> </div> 	
30-10-18	<p>वकील प्रार्थी के प्राप्ति पर मिसल तलबी का पत्र करने पर प्रार्थी वकील इफ्तखार प्रार्थी 02-11-18 से पूर्व तलब लेकर पेश हुई। वकील प्रार्थी ने अफ्रीका के विरुद्ध आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहकर प्रार्थी पर ही आर्डर को विरुद्ध करने का निर्णय किया। वकील प्रार्थी के निर्णय पर प्रार्थी पर ही आर्डर को विरुद्ध कर उजरील करने पर भी कृपि ही जाती है। प्रार्थी पर ही आर्डर फिलहाल शुमार लेकर बंद तकालील प्रारिख दफ्तर है।</p>	

()
 ()
 श्रीमाधोपुर (सीकर)
 RPS
 30-10-18